उत्तर प्रदेश शासन
उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1
संख्या-13/2017/340/84-1-17-8बामा/2015टी0सी0-1
लखनऊ: दिनॉक 18 मई, 2017

शुद्धि-पत्र

वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के लेखानुदान की अनुदान संख्या-21 के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम में वर्ष 1988 से पूर्व सजित पदों पर कार्यरत कामिकों के वेतन भत्तों हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 63,69,000/- के सापेक्ष माह अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017 के व्यय हेतु कुल रू0 26,54,000/- (रूपये छब्बीस लाख चौवन हजार मात्र) की धनराशि अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के निर्वतन पर शासनादेश संख्या-10/2017/930/84-1-16-08बामा/2015, दिनांक 07.04.2017 द्वारा रखी गई है।

2- उक्त शासनादेश के प्रस्तर-9 में यह उल्लिखित है कि "उक्त अनुदान से सम्बन्धित बिल प्रत्येक माह के वास्तविक व्यय विवरण के आधार पर खाद्य एवं रसद सचिव शाखा उ0प्र0 शासन के राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।" इस सम्बन्ध में अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम ने अपने पत्र संख्या-69स्था0एस0/बत्तीस-2017, दिनांक 18.04.2017 द्वारा उक्त कार्य वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं रसद विभाग को आवंटित किये जाने के अनुरोध है। अधिशासी निदेशक द्वारा किये गये उक्त अनुरोध के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 07.04.2017 की शर्त संख्या-9 को निम्नवत संशोधित की जाती है :-

"उक्त अनुदान से सम्बन्धित बिल प्रत्येक माह के वास्तविक व्यय विवरण के आधार पर वित्त नियंत्रक खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।"

3- शासनादेश दिनॉक 07.04.2017 की शेष शर्ते पूर्ववत् रहेंगी। उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

डा0 जटा शंकर त्रिपाठी
उप सचिव।

संख्या- /2017/340(1)/84-1-17-8बामा/2015टी0सी0-1 तद् दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- आयुक्त, खाद्य एवं रसद उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं रसद उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
5- अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम लि0।
6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्टेट, लखनऊ।
8- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन0आई0सी0), लखनऊ।
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7
10- उपभोक्ता संरक्षण् एवं बाट माप अनुभाग-3 ।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 जटा शंकर त्रिपाठी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in